उत्तर प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली 2004 एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2007

विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
10वां तल, इंदिरा भवन, लखनऊ
उत्तर प्रदेश शासन
विकलांगता कल्याण अनुभाग-2
लखनऊ, दिनांक : 31 अगस्त, 2004

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 162 खण्ड (2) के अधीन प्रदेश कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा सहायता देने के लिए निम्नलिखित अनुदान नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

उत्तर प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली, 2004

1. नियमावली का (1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश के निर्धन एवं नाम और प्रारम्भ असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली, 2004 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:—

(1) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली, 2004 से है।

(2) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक विकलांग
कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश से है।

(3) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासन से है।

(4) "अनुदान समिति" का तात्पर्य नियम-8 के उपनियम (1) के अधीन गठित अनुदान समिति से है।

(5) "शल्य चिकित्सा" का तात्पर्य नियम-3 उल्लेखित शल्य चिकित्सा से है।

(6) "राजकीय चिकित्सालय" का तात्पर्य राज्य सरकार के राजकीय चिकित्सालयों से है।

(7) "विकलांग व्यक्ति" का तात्पर्य नियम-3 में उल्लेखित विकलांगता से ग्रासित पुरुष/स्त्री से है। "विकलांगता" से है।

3. निम्नलिखित शल्य सर्जरी फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड

चिकित्साओं के लिए (1) इंटर्रा आक्यूलर लैन्स इम्पलांट अनुदान अनुमम्य होगा

(2) कार्नियों प्लास्टी

(3) कार्नियल रिपेयर

सर्जरी फॉर हिजॅरिंग इम्पेयर्ड

(1) कैलिजर्य इम्पलांट?
(2) टिम्पैनिक मैबरेन रिपेयर
(3) मेस्टवायड सर्जरी

सर्जरी फॉर आर्थोपाडिकली हैंडीकैप्ड

(1) एस.पी. नेल आपरेशन
(2) आरोपिस
(3) आर्टीफिशियल प्रास्थेसिस
(4) एक्सटर्नल फिक्सेशन
(5) रिप्लेसमेंट इम्प्लान्ट
(6) सर्जरी फॉर नी, हिप एण्ड एन्किल करेक्शन
(7) शोल्डर, एल्बो एण्ड रिस्ट करेक्शन सर्जरी
(8) पोस्टपोलियो करेक्शन सर्जरी
(9) कान्ट्रैक्चर रिपेयर
(10) लिगामेन्ट रिपेयर
(11) टेंडन्स ट्रांसप्लान्ट
(12) साफ्ट टिज्यूर रिलीज सर्जरी
(13) कान्ट्रैक्चर करेक्शन सर्जरी
(14) एलिजारोब लेन्डनिंग एण्ड करेक्शन सर्जरी

**पोस्ट लैफ्योर्ड डिसेबिलिटीज**

(1) रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी हेंड
(2) रिकान्स्ट्रक्टिव सर्जरी फुट

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त नियम में यथावास्थक परिवर्तन किया जा सकता है।

4. निर्धारण एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की शत्य चिकित्सा हेतु अनुदान की व्यवस्था

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के आय-व्यय में विकलांग व्यक्तियों की शत्य चिकित्सा हेतु धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।
(2) आय-व्यय में उक्त प्रकार से निर्दिष्ट
धनराशि को किसी भी वर्ष में पुनर्विनियोजन करके नहीं बढ़ाया जायेगा।

(3) इस मद पर होने वाला व्यय आय—व्ययक की अनुदान संख्या—79 के लेखा शीर्षक "2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—101—विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—04—असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे ढाला जायेगा।

5. अनुदान की सीमा

इस नियमावली के अधीन प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को शल्य चिकित्सा हेतु सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुसार शल्यचिकित्सा व्यय के आधार पर एक वर्ष में अधिकतम रू 8000/— की प्रतिपूर्ति की जायेगी। शल्य चिकित्सा पर होने वाला शेष व्यय सम्बन्धित विकलांग द्वारा स्वयं अपने साधनों से वहन किया जायेगा।

6. शल्य चिकित्सा के लिए (1) निम्न योग्यता के धारक व्यक्ति अनुदान हेतु पात्र होंगे:

(क) ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनका तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू 60000/— से अधिक न हो।

(4)
(ख) भारतवर्ष का नागरिक हो।

(ग) उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी या कम से कम 5 वर्ष से प्रदेश का अधिवासी हो एवं

(घ) किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त आय प्रमाण-पत्र ही स्वीकार्य होगा।

(3) वार्षिक आय की सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर परिवर्तित की जा सकेगी।

7. अनुदान के लिए आवेदन (1) ऐसे पत्र विकलांग व्यक्ति जो नियमावली के पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अधीन राज्य विकिल्सा करना चाहते हों, के द्वारा नियमावली से संलग्न आवेदन-पत्र पर राजकीय विकिल्सालय के अधीक्षक/प्रभारी की संस्थातर्थि एवं अनुमानित व्यय सहित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके द्वारा अपनी संस्थातर्थि सहित आवेदन-पत्र निदेशक को प्रेषितकिया जायेगा। आकर्षिकता की दशा में प्रारंभ-पत्र सीमा निदेशक को भेजे जा सकते हैं, जिनका यथावश्यक परीक्षण जनपद से कराया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया
जायेगा:—

(क) विकलांगता का प्रमाण-पत्र, जो सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।

(ख) वार्षिक आय (सभी स्रोतो से) का प्रमाण पत्र।

(ग) सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा शल्य चिकित्सा का अनुमानित व्यय विवरण।

8. अनुदान की स्वीकृति (1) निदेशक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्रों पर सम्पूर्ण विचारोपरांत निम्न अनुदान समिति द्वारा अनुदान को स्वीकृत किया जायेगा:—

1— मार्ग मंत्री, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। — अध्यक्ष

2— सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। — सदस्य

3— महानिदेशक, चिकित्सा एवं — सदस्य स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित अस्थि रोगविशेषज्ञ/चिकित्सा

4— निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश —संयोजक/सदस्य।

(2) मार्ग मंत्री, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार की अनुपस्थिति में अथवा उनके द्वारा नामित किये जाने पर सचिव विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

(3) अनुदान समिति की संस्थापना के अनुसार
निदेशक द्वारा शल्य चिकित्सा की प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान की धनराशि का चेक समझित राजकीय चिकित्सालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा जिसकी धनराशि प्रत्येक दशा में 8000/- (रुपया आठ हजार) मात्र से अधिक न होगी।

9. बैठक

उपरोक्त समिति की बैठक माह में कम से कम एकबार अवश्य आयोजित की जायेगी।

10. उपयोगिता प्रमाण—पत्र

समझित राजकीय चिकित्सालय द्वारा धनराशि की प्राप्ति महीने के अन्दर अथवा पात्र विकलांग व्यक्ति की शल्य चिकित्सा होने के तुरंत बाद संबंधित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को स्वीकृत अनुदान की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

11. अनुदान की वापसी

निदेशक द्वारा अनुदान की धनराशि इस शर्त के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि यदि पात्र विकलांग व्यक्ति की शल्य चिकित्सा में अनुदान की धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है या कोई धनराशि शेष बचती है तो वह सम्पूर्ण धनराशि चेक के द्वारा निदेशक को तत्काल वापस कर दी जायेगी।

12. अनुदान के विवरण का लेखा—जोखा

राज्य सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि निदेशक को आय—व्यय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा अनुदान समिति द्वारा
स्वीकृत रखा जाना अनुदान की धनराशि का चेक निदेशक द्वारा सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय को जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी धनराशि ₹ 8000/- से किसी भी दशा में अधिक न होगी। प्रदेश स्तर पर अनुदान धनराशि का लेखा-जोखा निदेशक द्वारा रखा जायेगा तथा जिला स्तर पर जिला विकलांग कल्याण अधिकारी द्वारा रखा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रमुख सचिव/सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को यथा संभव निदेशक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशालय एवं जिला स्तर पर रखे गये अनुदान अभिलेखों का लेखा परीक्षा यथासंभव महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से कराया जायेगा।

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि इस नियमावली के अधीन किसी विशेष परिस्थितियों में किसी पात्र विकलांग व्यक्ति की शल्य चिकित्सा में अनपेक्षित कठिनाई आ रही है, तो राज्य सरकार शासनाधिकार द्वारा केवल उस पात्र विकलांग व्यक्ति की शल्य चिकित्सा के लिए
नियम / नियमों को शिखिए कर सकती है।

संलग्न : प्रार्थना पत्र का प्रारूप।

(रोहित नन्दन)
सचिव

संख्या—440(1)/65-2-2004—तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. कुलपति, केंजी0 मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. समस्त रुख्त चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस नियमावली का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, विकलांग कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से नियमावली की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रधानाध्याय, समस्त मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश।
11. विभागी अनुभाग—1
12. वित्त (आय—व्यय) अनुभाग1/2

(9)
13. वित्त (आय-नियुक्ति) अनुभाग—3
14. नियोजन अनुभाग—1/2
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
उप सचिव
विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा
उत्तर प्रदेश के निर्धारित एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की
विकलांगता निवारण हेतु शाल्य चिकित्सा अनुदान दिये जाने का

प्रार्थना—पत्र

1. आवेदक का नाम : .................................................

2. पिता/पति का नाम : .................................................

3. स्थायी पता : ......................................................

4. वर्तमान पता/मोबाइल नंबर : ........................................

5. उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि : ..................................................

6. नागरिकता : ..........................................................

7. जन्म तिथि : ..........................................................

8. परिवार के आश्रितों का निवारण—

   नाम आयु सम्बन्ध
   1.
   2.

9. विकलांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत : .................................................................

   (चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र)

10. वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) : .................................................................

    (आय का प्रमाण—पत्र विकलांग कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत
    व्यक्ति/अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया अनुमति होगा)

11. शाल्य चिकित्सा, जिसके लिए अनुदान चाहा गया है, का विवरण : ...........

    ..............................................................................................................

(11)
(नियमावली के नियम 3 के अनुसार)

12. शाल्य चिकित्सा की संस्थुति करने वाले चिकित्सक तथा चिकित्सालय का नाम व पता...

13. चिकित्सालय जहाँ शाल्य चिकित्सा कराई जाती है...

14. घोषणा - मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मुझे किसी अपराधिक मामले में दर्ज नहीं किया गया है और उपरोक्त प्रस्तुत सूचनायें सत्य हैं तथा उनके गलत या झूठ पाये जाने की दशा में प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जाये।

आवेदक के हस्ताक्षर तथा नाम

15. चिकित्सालय की संस्थुति : ..................................................

(शाल्य चिकित्सा पर आने वाले अनुमानित व्यय सहित)

चिकित्सालय के अधीक्षक/प्रभारी के

हस्ताक्षर, नाम तथा मोहर सहित।

(12)
संविधान के अनुसार 309 के परन्तु द्वारा शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश निर्देश एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य विकित्सा अनुदान नियमावली 2004 (जिसे एतद्दृष्ट्य “मूल नियमावली” कहीं जाएगी) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।

उत्तर प्रदेश निर्देश एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य विकित्सा अनुदान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्देश एवं असहाय व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य विकित्सा अनुदान (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2007 कहीं जाएगी।

2. यह तात्कालिक प्रभाव से प्रबुद्ध समझी जाएगी।

2— मूल नियमावली के नियम 2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (6) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जाये:—

स्तम्भ-1
वर्तमान नियम
(6) “राजकीय विकित्सालय” का तात्पर्य राज्य सरकार के राजकीय विकित्सालयों से है।

3— नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये मूल नियमावली के नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जाये।

स्तम्भ-2
एतद्दृष्ट्य प्रतिस्थापित नियम
(6) “राजकीय विकित्सालय” का तात्पर्य राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकित्सालय तथा विकलांगता एवं विकित्सा से सम्बन्धित ऐसे निजी विकित्सालयों /संस्थाओं से है, जिन्हें राज्य सरकार (विकलांग कल्याण विभाग) द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय।
5- इस नियमावली के अधीन प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को शल्य चिकित्सा हेतु सम्बंधित राजकीय चिकित्सालय को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमानित शल्य चिकित्सा व्यय के आधार पर एक वर्ष में अधिकतम 8000/- की प्रतिपूर्ति की जायेगी। शल्य चिकित्सा पर होने वाला शेष व्यय सम्बंधित विकलांग द्वारा स्वयम अपने साधनों से वहन किया जायेगा।

5-(क) इस नियमावली के अधीन प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को शल्य चिकित्सा हेतु सम्बंधित राजकीय चिकित्सालय को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमानित शल्य चिकित्सा व्यय के आधार पर एक वर्ष में अधिकतम 8000/- का अग्रिम भुगतान /प्रतिपूर्ति की जायेगी। शल्य चिकित्सा पर होने वाला शेष व्यय सम्बंधित विकलांग व्यक्ति द्वारा स्वयम अपने साधनों से वहन किया जायेगा।

(ख) अग्रिम भुगतान का नियमानुसार समायोजन उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

अग्रिम भुगतान के समायोजन हेतु निदेशाक एवं सम्बंधित जनपद के जिला विकलांग कल्याण अधीकारी के साथ सम्बंधित आहरण एवं वितरण अधीकारी उत्तरदायी होंगे।

4- मूल नियमावली के नियम-6 के उप नियम (1) में नीचे स्तंभ-1 में दिये गये खण्ड (घ) के स्थान पर स्तंभ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगे:—

(घ) किसी आपराधिक मामले में (घ) विकलांगता किसी आपराधिक मामले में भाग लेने के कारण न हुई हो।

5- मूल नियमावली के नियम-8 में नीचे स्तंभ-1 में दिये गये उप नियम (3) के स्थान पर स्तंभ-2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेगे:
(३) अनुदान समिति की संस्थापन के अनुसार निदेशक द्वारा शास्त्रीय चिकित्सा के प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान की धनराशि का चेक सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय को उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिसकी धनराशि प्रत्येक दशा में रु 8000/-(रु 80 आठ हजार) मात्र से अधिक न होगी।
(रोहित नन्दन) 
प्रमुख सचिव

संख्या-363 (1)/65-2-2007/—तदुद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महानिदेशक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कुलपति, कै10 मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6- निदेशक, एस10जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- प्रधानाध्यापक, समस्त मेडिकल कॉलेज, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस नियमावली का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
10- निदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश
के साथ कि कृपया समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से नियमावली की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11— विधायी अनुभाग—1
12— वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग—3
13— वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग—1/2
14— गाईड फाइल।

आज्ञा से,

(परशुराम प्रसाद)
उप सचिव
राज्य प्रदेश निर्णय एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य विकित्सा अनुदान (प्रथम संशोधन) नियमावली 2007 को संस्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश निर्णय एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य विकित्सा अनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016।

1-संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश निर्णय एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य विकित्सा अनुदान (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2016 कही जाएगी।

(2) यह तालाबादिक प्रभाव से प्रकृति समझी जायेगी।

2-प्रथम संशोधन नियमावली 2007 के प्रस्तार-5 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेगे:

स्तम्भ-1

वर्तमान नियम

अनुदान समिति की संस्थापना के अनुसार निदेशक द्वारा शल्य विकित्सा का अधिग्रह भूमिका/प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान की धनराशि का चेक संबंधित राजकीय विकासालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसकी धनराशि प्रत्येक दशा में ₹ 8000/- (रुपये आठ हजार गांठ) से अधिक नहीं होगी।

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

अनुदान समिति की संस्थापना के अनुसार निदेशक द्वारा शल्य विकित्सा का अधिग्रह भूमिका/प्रतिपूर्ति के लिये अनुदान की धनराशि का चेक संबंधित राजकीय विकासालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसकी धनराशि प्रत्येक दशा में ₹ 8000/- (रुपये आठ हजार गांठ) से अधिक नहीं होगी। उद्वत के अतिरिक्त शल्य विकित्सा पर होने वाले व्यय की धनराशि का पांच प्रतिशत भुगतान शिविर आयोजन की व्यवस्था हेतु प्राथमिक व्यय के लिये संबंधित जनसंख्या के जिला विकास प्रशासन अधिकारियों को दो समान किस्सों में उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय किस्त
की धनराशि शिविर आयोजन
उपरांत वास्तविक व्यय के आधार पर
dी जायेगी, जिसका उपभोग प्रमाण-
पत्र प्रदेश दशा में वित्तीय वर्ष की
समाप्ति तक उपलब्ध कराई जाएगी।

अनिल कुमार सागर
सचिव।

संख्या-1135(1)/65-2-2016 तदरिंदान।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—
1—प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2—महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3—समस्त नगरपालिका, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5—कुलपति, कोट्जी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
6—निदेशक, एस.एन.पी.आई.आई.टी, लखनऊ।
7—समस्त युवा चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—प्रधानाध्यापक, समस्त मेडिकल कलेज, उत्तर प्रदेश।
9—निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस
नियमावली का विविध प्रकार माध्यमों से व्यापक प्रसार-प्रसार करें।
10—निदेशक, विकलांगजन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के
साथ कि कृपया समस्त विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से नियमावली की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11—विधायी अनुभाग-1
12—वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
13—वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
14—विकलांग जन विकास अनुभाग-1/3
15—पाइप काइल।

आज्ञा से

(विधय उप-प्रमुख अध्याय)
उप सचिव।